

कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल, शाजापुर (म.प्र.)

मध्यप्रदेश

क्षेत्र का रोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- उमरिया जिले में कटनी-उमरिया-शहडोल-अनूपपुर से मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 को लेन एवं पेव्ड शोल्डर में परिवर्तन करने हेतु 23.287 हेक्टेयर वन भूमि एवं 7.136 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि कुल 30.429 हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम शहडोल को उपयोग पर देने बाबत।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के तहत प्रभावित वन भूमि 30.429 हेक्टेयर के विरुद्ध कलेक्टर आगर-मालवा द्वारा जिला आगर-मालवा तहसील बड़ौद ग्राम टोकड़ा खसरा क्रमांक 229 का कुल रकबा 12.453 हेक्टेयर में से 11.570 हेक्टेयर एवं ग्राम रापड़ी खसरा क्र. 818/1/1 का कुल रकबा 28.730 हेक्टेयर में से 19.471 हेक्टेयर गैर वन भूमि का निरीक्षण दिनांक 4.10.16 को किया गया। प्रस्तावित गैर वन भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर

कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल, शाजापुर (म.प्र.)

वचन पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के तहत प्रभावित 30.429 हेक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध दी गई आगर-मालवा जिले की तहसील बड़ौद ग्राम टोकड़ा के खसरा क्रमांक 229 का कुल रकबा 12.453 हेक्टेयर में से 11.570 हेक्टेयर एवं ग्राम रापड़ी खसरा क्र. 818/1/1 का कुल रकबा 28.730 हेक्टेयर में से 19.471 हेक्टेयर गैर वन भूमि पूर्व में एवं वर्तमान में किसी अन्य परियोजना/प्रयोजन में प्रस्तावित नहीं की गई है।


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल शाजापुर